प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, इटावा, गोरखपुर, झॉसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, एवं वाराणसी।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2017–18 / 5244-10 **दिनांक** 25 **/ 08 / 2017**

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग में स्थापित एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित 09 मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग में **सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयां** (SNCUs) क्रियाशील हैं तथा आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी में यूनिसेफ के सहयोग से इकाई स्थापित की गयी है। यह इकाईयां मेडिकल कालेजों का अभिन्न अंग है।

इसी क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU / 36 / 2016–17 / 6208–10, दिनांक 07.10.2016 के माध्यम से सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) के संचालन हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु आपरेशनल कास्ट, डाटा मैनेजमेन्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय के लिए अनुमोदित धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जनपदो की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाये।

01–ऑपरेशनल कॉस्ट–

FMR Code-A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट की धनराशि का **60 प्रतिशत** औषधियों, कन्जूमेबिल्स, डायपर, न्यूट्रीशनल सप्लीमेन्ट के रूप में उपयोग किये जाने हेतु शिशु मिल्क पाउडर (**Govt. of india FBNC Operational Guidelines के अनुसार**) कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई हेतु आवश्यक सामग्री आदि **तथा 40 प्रतिशत धनराशि से** ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरणों के क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री **एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार** क्रय किये जायें। विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग / नोडल अधिकारी द्वारा बिना इनकी लिखित परामर्श के धनराशि का उपयोग न किया जाये। **ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**

02– एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट

FMR Code-A.2.2.1.1 पर एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट हेतु 08 क्रियाशील इकाईयों हेतु एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट हेतु प्रति इकाई को रू0 1,60,000 / – प्रति इकाई की दर से स्वीकृत की गयी है स्वीकृत की गयी **धनराशि संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है। आई0एम0एस0–बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी हेतु धनराशि यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश के स्तर से उपलब्ध करायी जायेगी।**

- एस0एन0सी0यू0 **डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु रू0 60,000 / – की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार जिसे कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट एवं मोबाइल का मासिक व्यय कम्प्यूटर प्रिन्टर का रख–रखाव की व्यवस्था इत्यादि हेतु व्यय किया जायेगा।
- एस0एन0सी0यू0 **डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु Printing cost for SNCU stationery & Case Recording format हेतु रू0 1,00,000 / – की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। इस धनराशि से इकाई में मरीजों के उपयोग होने वाले प्रपत्र जैसे Case Record, Monitoring sheet/ treatment & discharge भारत सरकार से प्राप्त प्रपत्र के अनुसार प्रिन्ट कराने के लिये उपयोग की जायेगी।

- <u>इकाई के अभिलेखों का रखरखाव एवं रिपोर्टिंग–</u>

❖ एस0एन0सी0यू0 से शिशु की जाने पर यथा परिस्थिति अभिलेख दिये जायें। जैसे छुट्टी पर डिस्चार्ज कार्ड, संदर्भन पर रेफरल स्लिप, मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं लामा (LAMA) होने पर लामा कार्ड (डिस्चार्ज कार्ड पर ही ऊपर लामा कार्ड लिखा जाये) देना सुनिश्चित करें।

❖ एस0एन0सी0यू0 में एक मोबाइल की व्यवस्था रखे जिसका नंबर सिटीजन चार्टर (Citizen charter) पर अंकित रहे छुट्टी उपरान्त यही नंबर शिशु के छुट्टी कार्ड पर लिखा जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर एस0एन0सी0यू0 में फोन कर सके। यही नंबर स्थानीय सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, ए0एन0एम0 एवं आशाओं को उपलब्ध कराया जाये।

❖ ए0एन0एम0 एवं आशाओं द्वारा संदर्भित शिशु की समस्त सूचना एवं रिकॉर्ड, एस0एन0सी0यू0 में भर्ती रजिस्टर में रखा जाये। जिसे रजिस्टर के कॉलम नंबर 12 (Name of ASHA/ANM with Contact details) में अंकित किये जाये।

<u>03– मानव संसाधन–</u>

- **एस0एन0सी0यू0** में **FMR Code- B.30.9.3** पर **मेडिकल कालेजों में संविदा** स्टॉफ नर्सों के मानदेय हेतु प्रति इकई 16 स्टाफ नर्स पूर्व से कार्यरत 76 स्टाफ नर्सों का मानदेय प्रति स्टाफ नर्स को रू0 20012/– प्रतिमाह की दर से 04 माह का मानदेय **तथा** शेष 76 स्टाफ नर्सों को रू0 18150/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **<u>संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है</u>। स्टाफ नर्सों के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**

- **एस0एन0सी0यू0** में **FMR Code-B.30.9.4** पर **मेडिकल कालेज में 10 डाटा इन्ट्री आपरेटर–<u>(आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u>** प्रति इकई 01 **डाटा इन्ट्री आपरेटर,** प्रति डाटा इन्ट्री आपरेटर को रू0 12000/– प्रतिमाह की दर 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। डाटा इन्ट्री आपरेटर के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**

- **एस0एन0सी0यू0** में **FMR Code-B.30.9.4 पर मेडिकल कालेज में सफाई कर्मी/वार्ड आया <u>(आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u>** के मानदेय हेतु प्रति इकाई 06 सफाई कर्मी/वार्ड आया प्रति सफाई कर्मी/वार्ड आया हेतु रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। वार्ड आय एवं सफाई कर्मी के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**

- **एस0एन0सी0यू0** में **FMR Code-B.30.9.4** पर मेडिकल कालेज में सिक्युरटी गार्ड <u>(आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u> प्रति इकाई 3 सिक्युरटी गार्ड, प्रति इकाई सिक्युरटी गार्ड हेतु रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी। है। सिक्युरटी गार्ड के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी**

<u>मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवटिंत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।</u>

<u>नोटः–</u>

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की पृविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

04– संविदा मानव संसाधन हेतु निर्देश–

- **एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय।** यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्सों जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को 4 दिवसीय फेसिल्टीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली/अन्य समकक्ष चिन्हित चिकित्सालय में दिया जाना प्रस्तावित है।
- यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्सों को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स प्रशिक्षण में भाग नहीं लेती हैं **तो ऐसी स्थिति में शासनादेश सख्या–3033/सेक–2–पांच–14–7(56)/14 T.C., दिनांक 09.10.2014 के संदर्भ में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।**
- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।

05– प्रसव कक्ष में बालरोग बिशेषज्ञ/नोडल अधिकारी एस0एन0सी0यू0 के दायित्व–

- न्यूबोर्न केयर कार्नर की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
- चिकित्सालय में जन्मे सभी शिशुओं की 01 घंटे के भीतर वजन एवं Inj. Vit K लगवाना ।
- सभी जन्मे शिशुओं को 01 घंटे के भीतर स्तनपान करवाना।
- सभी जन्मे शिशुओं की 24 घंटे के भीतर स्क्रीनिंग (for birth defects and anthropometry) हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/आर0बी0एस0के0/01/2016–17/10740–8, दिनांक 14.03. 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
- समय समय पर समस्त लेबर रूम स्टाफ की क्षमतावृद्धि हेतु Essential Newborn care/NSSK के सम्बन्ध में ओरिएंटेशन करना।

06– डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य एवं दायित्व–

- भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मेडिकल कॉलेजों में संचालित सिक न्यूबोर्न इकाईयों (SNCUs) में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा यदि मेडिकल कॉलेजों में पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs) संचालित है तो इस इकाई की रिपोर्टिगं का भी कार्य किया जायेगा तथा Data की online फीडिगं करेगें तथा इकाई की Database का रखरखाव, इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों की इकाईयों में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर सहयोग प्रदान करेगें एवं समय–समय पर राज्य स्तर से जारी निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

❖ **डाटा इन्ट्री आपरेटर से एस0एन0सी0यू0 एवं एन0आर0सी0 इकाई मे ही कार्य लिया जाये एवं अन्य कार्यों से विमुक्त रखा जाये।**

<u>07– सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के संविदा मानव संसाधन के भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश–</u>

- **इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36–4/2013–14/1388–9, दिनांक 01/07/2013** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में संचालित एस0एन0सी0यू0 हेतु स्टाफ नर्स एवं अन्य संविदा कर्मियों की नियुक्त के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया नियमानुसार शीघ्र करें।
- **<u>डाटा इन्ट्री आपरेटर (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u>**– भारत सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में डाटाइन्ट्री आपरेटर के रिक्त पद पर आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखे जाने है। डाटाइन्ट्री आपरेटर का मानदेय रू0 12000.00 प्रति माह की दर से देय होगा। जिसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक पास एवं कम्प्यूटर में ओ0 लेवल डिप्लोमा या एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र (one year certificate course computer application or O- Level Computer Diploma) अनिवार्य है, कम से कम दो साल के अनुभव वाले अभ्यार्थी को वरीयता दी जायेगी।
- **<u>सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u>– मेडिकल कालेज में** सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) पर सफाई कर्मी/वार्ड आया/सिक्युरटी गार्ड को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई **3** सफाई कर्मी, प्रति इकाई **3** वार्ड आया, प्रति इकाई **3 सिक्युरटी गार्ड** की तैनाती की जायेगी जिनका मानदेय प्रति रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से देय होगा।

<u>08– एस0एन0सी0यू0 प्रोटोकाल–</u>

❖ एस0एन0सी0यू0 में मानकानुसार सेवा उपलब्ध कराने हेतु FBNC operational Guidelines का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

❖ इकाई में प्राथमिकता के आधार पर Preterm & LBW शिशुओं की भर्ती करें एवं Term शिशु की भर्ती आवश्यकतानुसार करें।

❖ इकाई में कम से कम 30 प्रतिशत संदर्भित (outborn) बीमार नवजात शिशुओं को भर्ती करें।

❖ शिशुओं को भर्ती करने के समय ही ID band अवश्य पहनाये।

❖ एस0एन0सी0यू0 में आवश्यक कंज्यूमेब्लिस की उपलब्धता सुनिश्चित करना नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी की होगी।

❖ एस0एन0सी0यू0 की सिस्टर इन्चार्ज को एस0एन0सी0यू0 के स्टाफ में से ही एक स्टाफ नर्स को चयनित कर Rotatory basis पर प्रमुख सिस्टर इन्चार्ज के अधीन अपनी कर्तव्य का निवर्हन करेगी।

❖ डयूटी के समय एस0एन0सी0यू0 स्टाफ अपनी निर्धारित ड्रेस में रहें।

❖ भर्ती शिशु की देखभाल में माँ को शामिल करने हेतु माँ को समय समय पर एस0एन0सी0यू0 में आने के लिए प्रेरित करें तथा सुनिश्चित करे की माँ एस0एन0सी0यू0 में प्रवेश से पूर्व साफ सफाई के मानकों का पूरा ध्यान रखे। (Jewellary removal, hand wash, gowning and use slipper)

❖ छुटटी से पूर्व शिशु को माँ के साथ कम से कम 24 घंटे हेतु Stepdown बेड में स्थानान्तिरित करें Stepdown के लिए उपयुक्त स्थान न होने की दशा में PNC वार्ड में 04 शैय्याओं को को Stepdown हेतु चिन्हित किया जाये निजिता बनाये रखे के लिए स्क्रीन का उपयोग करे ।

❖ सभी स्थिर कम वजन के नवजात शिशुओं दीर्घ अवधि की के0एम0सी0 के लिए प्रेरित करना एवं जानकारी देने का दायित्व एस0एन0सी0यू0 के चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स का है।

❖ पी0एन0सी0 वार्ड के कम वजन के नवजात शिशुओं को एस0एन0सी0यू0 में भर्ती की आवश्यकता नहीं है, उन नवजात शिशुओं को वार्ड में ही के0एम0सी0 के सम्बन्ध में जानकारी देकर के0एम0सी0 देने में उनकी सहायता करें।

❖ यदि आपके चिकित्सालय में के0एम0सी0 कक्ष स्थापित नहीं है तो एस0एन0सी0यू0 के निकट ऐसे प्रथक कक्ष या स्थान सुनिश्चित करें जहाँ पर निजिता का पूरा ध्यान रखा जा सके।

❖ बीमार एवं क्रिटिकल शिशु के स्वास्थ्य अनुसार अल्प अवधि के0एम0सी0 शुरू करते हुये धीरे–धीरे दीर्घ अवधि की के0एम0सी0 का लक्ष्य रखे।

❖ अन्य चिकित्सालयों या मेडिकल कॉलेजों में संदर्भनहेतु हेतु एम्बुलेंस (102 एवं ALS) का प्रयोग सुनिश्चित करें संदर्भन पूर्व शिशु को स्थिर करें (check for hypothermia, hypoglycemia, hypoxia)

09– कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व मेडिकल कालेजों में चिकित्सालय प्रशासन/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। **विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक आनलाईन रिर्पोटिगं कराया जाना सुनिश्चित करें।** एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल sncureportup@gmail.com पर **संलग्न प्रारूप** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें की एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0 न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2017–18/ दिनांक /08/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
4. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. **महानिदेशक,** चिकित्सा शिक्षा **जवाहर भवन**, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. **कुलपति,** किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, **लखनऊ**/अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, **अलीगढ़**/उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, **सैफई, इटावा।**
7. **निदेशक,** आई0एम0एस0–बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, **वाराणसी**
8. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
9. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
10. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
11. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद**/एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज **मेरठ**/ एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा**/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज **कानपुर**/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर**/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झाँसी।**
12. **विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग**/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0, किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, **लखनऊ**/जे0एन0 मेडिकल कॉलेज **अलीगढ़**/एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद**/एल0एल0 आर0एम0, मेडिकल कॉलेज **मेरठ**/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा**/जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज **कानपुर**/बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर**/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झाँसी,** उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, **सैफई, इटावा एवं** आई0एम0एस0–बी0एच0यू0 **वाराणसी** को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
13. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
14. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

S.N.	Name of District	S.N.	Name of SNCU Unit	No. of beds	SNCU Operational Cost, Data Management & HR Funds allocation 2017-18											
					Operational Cost	SNCU Data Management & Printing cost for SNCU stationery and case recording format @ Rs.160000/- SNCU	Staff Nurse			Data Entry Operator		Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard				Total fund Released to DHS (Amount in Rs)
							No.	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	
							old Staff Nurse Honorarium @ Rs.20012/- p.m. for 4 months	New Staff Nurse Honorarium @ Rs.18150/- p.m. for 4 months	Total Staff Nurse Honrarium	DEO Honorarium@Rs.12000/- p.m. for 4 months	Total Honorarium of Data Entry Operator	No. CL/WA for 4 months	Total Honorarium @ Rs. 7500/month for 4 months	No. of Security Guard	Security Guard @ 7500/month for 4 months	
			FMR Code		A.2.2.1	A.2.2.1.1	B.30.9.3			B.30.9.4		B.30.9.4				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	
1	Agra	1	SN Medical College Agra	16	500000	160000	8	8	1221184	1	48000	6	180000	3	90000	2199184
2	Aligarh	2	JN Medical College AMU Aligarh	20	500000	160000	8	0	640384	1	48000	6	180000	3	90000	1618384
3	Allahabad	3	MLN Medical College Allahabad	15	500000	160000	8	8	1221184	1	48000	6	180000	3	90000	2199184
4	Etawah	4	UPUMS Safai Etawah	12	500000	160000	8	8	1221184	1	48000	6	180000	3	90000	2199184
5	Gorakhpur	5	BRD Medical College Gorakhpur	43	500000	0	8	8	1221184	1	48000	6	180000	3	90000	2039184
6	Jhansi	6	MLB Medical College Jhansi	10	500000	160000	8	8	1221184	1	48000	6	180000	3	90000	2199184
7	Kanpur	7	GSVM, Medical College Kanpur	12	500000	160000	12	4	1250976	1	48000	6	180000	3	90000	2228976
8	Lucknow	8	KGMU Lucknow	32	500000	160000	8	8	1221184	1	48000	6	180000	3	90000	2199184
9	Meerut	9	LLRM Medical College Meerut	10	500000	160000	8	8	1221184	1	48000	6	180000	3	90000	2199184
10	Varanasi	10	IMS BHU Varanasi	20	500000	0	0	16	1161600	1	48000	6	180000	3	90000	1979600
Grand Total (in Rs.)				190	5000000	1280000	76	76	11601248	10	480000	60	1800000	30	900000	21061248
Total Funds Proposed/Released to DHS					50.00	12.80	152		116.01	78	4.80	468	18.00	234	9.00	210.61

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, इटावा, गोरखपुर, झॉसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, एवं वाराणसी।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2017–18 / **दिनांक 25 / 08 / 2017**

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग में स्थापित एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित 09 मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग में **सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयां** (SNCUs) क्रियाशील हैं तथा आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी में यूनिसेफ के सहयोग से इकाई स्थापित की गयी है। यह इकाईयां मेडिकल कालेजों का अभिन्न अंग है।

इसी क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU / 36 / 2016–17 / 6208–10, दिनांक 07.10.2016 के माध्यम से सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) के संचालन हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु आपरेशनल कास्ट, डाटा मैनेजमेन्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय के लिए अनुमोदित धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जनपदो की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाये।

01–ऑपरेशनल कॉस्ट–

FMR Code-A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट की धनराशि का **60 प्रतिशत** औषधियों, कन्जूमेबिल्स, डायपर, न्यूट्रीशनल सप्लीमेन्ट के रूप में उपयोग किये जाने हेतु शिशु मिल्क पाउडर (**Govt. of india FBNC Operational Guidelines के अनुसार**) कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई हेतु आवश्यक सामग्री आदि **तथा 40 प्रतिशत धनराशि से** ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरणों के क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री **एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार** क्रय किये जायें। विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग / नोडल अधिकारी द्वारा बिना इनकी लिखित परामर्श के धनराशि का उपयोग न किया जाये। **ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**

02– एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट

FMR Code-A.2.2.1.1 पर एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट हेतु 08 क्रियाशील इकाईयों हेतु एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट हेतु प्रति इकाई को रू0 1,60,000 /– प्रति इकाई की दर से स्वीकृत की गयी है स्वीकृत की गयी **धनराशि संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है। आई0एम0एस0–बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी हेतु धनराशि यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश के स्तर से उपलब्ध करायी जायेगी।**

- एस0एन0सी0यू0 **डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु रू0 60,000 /– की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार जिसे कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट एवं मोबाइल का मासिक व्यय कम्प्यूटर प्रिन्टर का रख–रखाव की व्यवस्था इत्यादि हेतु व्यय किया जायेगा।
- एस0एन0सी0यू0 **डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु Printing cost for SNCU stationery & Case Recording format हेतु रू0 1,00,000 /– की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। इस धनराशि से इकाई में मरीजों के उपयोग होने वाले प्रपत्र जैसे Case Record, Monitoring sheet/ treatment & discharge भारत सरकार से प्राप्त प्रपत्र के अनुसार प्रिन्ट कराने के लिये उपयोग की जायेगी।

- <u>इकाई के अभिलेखों का रखरखाव एवं रिपोर्टिगं</u>–

❖ एस0एन0सी0यू0 से शिशु की जाने पर यथा परिस्थिति अभिलेख दिये जायें। जैसे छुट्टी पर डिस्चार्ज कार्ड, संदर्भन पर रेफरल स्लिप, मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं लामा (LAMA) होने पर लामा कार्ड (डिस्चार्ज कार्ड पर ही ऊपर लामा कार्ड लिखा जाये) देना सुनिश्चित करें।

❖ एस0एन0सी0यू0 में एक मोबाइल की व्यवस्था रखे जिसका नंबर सिटीजन चार्टर (Citizen charter) पर अंकित रहे छुट्टी उपरान्त यही नंबर शिशु के छुट्टी कार्ड पर लिखा जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर एस0एन0सी0यू0 में फोन कर सके। यही नंबर स्थानीय सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, ए0एन0एम0 एवं आशाओं को उपलब्ध कराया जाये।

❖ ए0एन0एम0 एवं आशाओं द्वारा संदर्भित शिशु की समस्त सूचना एवं रिकॉर्ड, एस0एन0सी0यू0 में भर्ती रजिस्टर में रखा जाये। जिसे रजिस्टर के कॉलम नंबर 12 (Name of ASHA/ANM with Contact details) में अंकित किये जाये।

<u>03– मानव संसाधन</u>–

- **एस0एन0सी0यू0** में **FMR Code- B.30.9.3** पर **मेडिकल कालेजों में संविदा** स्टॉफ नर्सों के मानदेय हेतु प्रति इकई 16 स्टाफ नर्स पूर्व से कार्यरत 76 स्टाफ नर्सों का मानदेय प्रति स्टाफ नर्स को रू0 20012/– प्रतिमाह की दर से 04 माह का मानदेय **तथा** शेष 76 स्टाफ नर्सों को रू0 18150/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **<u>संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है</u>। स्टाफ नर्सों के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**

- **एस0एन0सी0यू0** में **FMR Code-B.30.9.4** पर **मेडिकल कालेज में 10 डाटा इन्ट्री आपरेटर–<u>(आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u>** प्रति इकई 01 **डाटा इन्ट्री आपरेटर,** प्रति डाटा इन्ट्री आपरेटर को रू0 12000/– प्रतिमाह की दर 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। डाटा इन्ट्री आपरेटर के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**

- **एस0एन0सी0यू0** में **FMR Code-B.30.9.4 पर मेडिकल कालेज में सफाई कर्मी/वार्ड आया <u>(आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u>** के मानदेय हेतु प्रति इकाई 06 सफाई कर्मी/वार्ड आया प्रति सफाई कर्मी/वार्ड आया हेतु रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। वार्ड आय एवं सफाई कर्मी के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।**

- **एस0एन0सी0यू0** में **FMR Code-B.30.9.4** पर मेडिकल कालेज में सिक्युरटी गार्ड <u>(आउट सोर्सिगं के माध्यम से)</u> प्रति इकाई 3 सिक्युरटी गार्ड, प्रति इकाई सिक्युरटी गार्ड हेतु रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी। है। सिक्युरटी गार्ड के मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी**

<u>मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवटिंत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।</u>

<u>नोटः–</u>

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की पृविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

04– संविदा मानव संसाधन हेतु निर्देश–

- **एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय।** यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्सों जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को 4 दिवसीय फेसिल्टीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली/अन्य समकक्ष चिन्हित चिकित्सालय में दिया जाना प्रस्तावित है।
- यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्सों को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स प्रशिक्षण में भाग नहीं लेती हैं **तो ऐसी स्थिति में शासनादेश सख्या–3033/सेक–2–पांच–14–7(56)/14 T.C., दिनांक 09.10.2014 के संदर्भ में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।**
- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।

05– प्रसव कक्ष में बालरोग बिशेषज्ञ/नोडल अधिकारी एस0एन0सी0यू0 के दायित्व–

- न्यूबोर्न केयर कार्नर की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
- चिकित्सालय में जन्मे सभी शिशुओं की 01 घंटे के भीतर वजन एवं Inj. Vit K लगवाना ।
- सभी जन्मे शिशुओं को 01 घंटे के भीतर स्तनपान करवाना।
- सभी जन्मे शिशुओं की 24 घंटे के भीतर स्क्रीनिंग (for birth defects and anthropometry) हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/आर0बी0एस0के0/01/2016–17/10740–8, दिनांक 14.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
- समय समय पर समस्त लेबर रूम स्टाफ की क्षमतावृद्धि हेतु Essential Newborn care/NSSK के सम्बन्ध में ओरिएंटेशन करना।

06– डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य एवं दायित्व–

- भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मेडिकल कॉलेजों में संचालित सिक न्यूबोर्न इकाईयों (SNCUs) में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा यदि मेडिकल कॉलेजों में पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs) संचालित है तो इस इकाई की रिपोर्टिगं का भी कार्य किया जायेगा तथा Data की online फीडिगं करेगें तथा इकाई की Database का रखरखाव, इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों की इकाईयों में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर सहयोग प्रदान करेगें एवं समय–समय पर राज्य स्तर से जारी निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

❖ डाटा इन्ट्री आपरेटर से एस0एन0सी0यू0 एवं एन0आर0सी0 इकाई मे ही कार्य लिया जाये एवं अन्य कार्यों से विमुक्त रखा जाये।

07– सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के संविदा मानव संसाधन के भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश–

- इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36–4/2013–14/1388–9, दिनांक 01/07/2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में संचालित एस0एन0सी0यू0 हेतु स्टाफ नर्स एवं अन्य संविदा कर्मियों की नियुक्त के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया नियमानुसार शीघ्र करें।
- **डाटा इन्ट्री आपरेटर (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)**– भारत सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में डाटाइन्ट्री आपरेटर के रिक्त पद पर आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखे जाने है। डाटाइन्ट्री आपरेटर का मानदेय रू0 12000.00 प्रति माह की दर से देय होगा। जिसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक पास एवं कम्प्यूटर में ओ0 लेवल डिप्लोमा या एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र (one year certificate course computer application or O- Level Computer Diploma) अनिवार्य है, कम से कम दो साल के अनुभव वाले अभ्यार्थी को वरीयता दी जायेगी।
- **सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)– मेडिकल कालेज में** सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) पर सफाई कर्मी/वार्ड आया/सिक्युरटी गार्ड को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई **3** सफाई कर्मी, प्रति इकाई **3** वार्ड आया, प्रति इकाई **3 सिक्युरटी गार्ड** की तैनाती की जायेगी जिनका मानदेय प्रति रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से देय होगा।

08– एस0एन0सी0यू0 प्रोटोकाल–

❖ एस0एन0सी0यू0 में मानकानुसार सेवा उपलब्ध कराने हेतु FBNC operational Guidelines का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

❖ इकाई में प्राथमिकता के आधार पर Preterm & LBW शिशुओं की भर्ती करें एवं Term शिशु की भर्ती आवश्यकतानुसार करें।

❖ इकाई में कम से कम 30 प्रतिशत संदर्भित (outborn) बीमार नवजात शिशुओं को भर्ती करें।

❖ शिशुओं को भर्ती करने के समय ही ID band अवश्य पहनाये।

❖ एस0एन0सी0यू0 में आवश्यक कंज्यूमेब्लिस की उपलब्धता सुनिश्चित करना नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी की होगी।

❖ एस0एन0सी0यू0 की सिस्टर इन्चार्ज को एस0एन0सी0यू0 के स्टाफ में से ही एक स्टाफ नर्स को चयनित कर Rotatory basis पर प्रमुख सिस्टर इन्चार्ज के अधीन अपनी कर्तव्य का निवर्हन करेगी।

❖ ड्यूटी के समय एस0एन0सी0यू0 स्टाफ अपनी निर्धारित ड्रेस में रहें।

❖ भर्ती शिशु की देखभाल में माँ को शामिल करने हेतु माँ को समय समय पर एस0एन0सी0यू0 में आने के लिए प्रेरित करें तथा सुनिशचित करे की माँ एस0एन0सी0यू0 में प्रवेश से पूर्व साफ सफाई के मानकों का पूरा ध्यान रखे। (Jewellary removal, hand wash, gowning and use slipper)

❖ छुटटी से पूर्व शिशु को माँ के साथ कम से कम 24 घंटे हेतु Stepdown बेड में स्थानान्तरित करें Stepdown के लिए उपयुक्त स्थान न होने की दशा में PNC वार्ड में 04 शैय्याओं को को Stepdown हेतु चिन्हित किया जाये निजिता बनाये रखे के लिए स्क्रीन का उपयोग करे ।

❖ सभी स्थिर कम वजन के नवजात शिशुओं दीर्घ अवधि की के0एम0सी0 के लिए प्रेरित करना एवं जानकारी देने का दायित्व एस0एन0सी0यू0 के चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स का है।

❖ पी0एन0सी0 वार्ड के कम वजन के नवजात शिशुओं को एस0एन0सी0यू0 में भर्ती की आवश्यकता नहीं है, उन नवजात शिशुओं को वार्ड में ही के0एम0सी0 के सम्बन्ध में जानकारी देकर के0एम0सी0 देने में उनकी सहायता करें।

❖ यदि आपके चिकित्सालय में के0एम0सी0 कक्ष स्थापित नहीं है तो एस0एन0सी0यू0 के निकट ऐसे प्रथक कक्ष या स्थान सुनिशचित करें जहाँ पर निजिता का पूरा ध्यान रखा जा सके।

❖ बीमार एवं क्रिटिकल शिशु के स्वास्थ्य अनुसार अल्प अवधि के0एम0सी0 शुरू करते हुये धीरे–धीरे दीर्घ अवधि की के0एम0सी0 का लक्ष्य रखे।

❖ अन्य चिकित्सालयों या मेडिकल कॉलेजों में संदर्भनहेतु हेतु एम्बुलेंस (102 एवं ALS) का प्रयोग सुनिश्चित करें संदर्भन पूर्व शिशु को स्थिर करें (check for hypothermia, hypoglycemia, hypoxia)

09– कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व मेडिकल कालेजों में चिकित्सालय प्रशासन/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। **विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक आनलाईन रिर्पोटिगं कराया जाना सुनिश्चित करें।** एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल sncureportup@gmail.com पर **संलग्न प्रारूप** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें की एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0 न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2017–18/5244-10-14 दिनांक /08/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
4. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. **महानिदेशक,** चिकित्सा शिक्षा **जवाहर भवन**, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. **कुलपति,** किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, **लखनऊ**/अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, **अलीगढ़**/उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, **सैफई, इटावा।**
7. **निदेशक,** आई0एम0एस0–बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, **वाराणसी**
8. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
9. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
10. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
11. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद**/एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज **मेरठ**/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा**/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज **कानपुर**/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर**/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झॉसी।**
12. **विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग**/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0, किगंजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, **लखनऊ**/जे0एन0 मेडिकल कॉलेज **अलीगढ़**/एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद**/एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज **मेरठ**/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा**/जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज **कानपुर**/बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर**/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झॉसी,** उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, **सैफई, इटावा एवं** आई0एम0एस0–बी0एच0यू0 **वाराणसी** को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
13. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
14. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य